न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, बाढ.

नियमित जमानत आवेदन सं0 158 / 2026

एवं

नियमित जमानत आवेदन सं0 173 / 2026

दोनों N.T.P.C. थाना कांड सं0 13 / 2026

(अंतर्गत धारा 111, 112, 303(2), 317(2)(5), 3(5) भारतीय न्याय संहिता)

1. जयप्रकाश कुमार, उम्र– 32 वर्ष, पिता– महेश राम, ग्राम– रामनगर,
2. रवि कुमार, उम्र– 26 वर्ष, पिता– चंदेश्वर यादव, ग्राम– गुलाबबाग, दोनों थाना– N.T.P.C., जिला– पटना।

.....आवेदकगण

बनाम

बिहार सरकार

..... अभियोजन

उपस्थिति
आवेदकगण की ओर से : विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार,
अभियोजन की ओर से : विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अर्जुन शर्मा,

17.04.2026

1. इस कांड में दिनांक **26.02.2026** से काराधीन आवेदक / अभियुक्त जयप्रकाश कुमार एवं दिनांक **04.02.2026** से काराधीन अभियुक्त रवि कुमार की ओर से दिनांक 23.03.2026 को पृथक–पृथक नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। जमानत आवेदनों की प्रतियां अभियोजन को प्रदान किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया है। आवेदक निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक जयप्रकाश कुमार के विरूद्ध एक अन्य आपराधिक मामला दर्ज है तथा आवेदक रवि कुमार के विरूद्ध तीन अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। अभियोजन के द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल झूठा है। प्राथमिकी में जिस प्रकार बताया गया है उस प्रकार की घटना नहीं हुई है। आवेदक पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदक का कथित घटना एवं घटनास्थल तथा यह अभियुक्तगण के कोई संबंध नहीं है। आवेदक के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है तथा आवेदक के विरूद्ध चोरी की बात गलत है। अतः आवेदक के विरूद्ध अंतर्गत धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला नहीं बनता है, अन्य सभी धाराएं जमानतीय प्रकृति की हैं। इस कांड के सह अभियुक्त अवधेश कुमार को नियमित जमानत आवेदन सं0 148 / 2026 दिनांक 08.04.2026 के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है। आवेदक जयप्रकाश कुमार दिनांक 26.02.2026 से तथा आवेदक रवि कुमार दिनांक 04.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक न्यायालय की किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार है, इसलिए इन्हें किसी भी शर्त का जमानत दिया जाय, जमानतदार देने को तैयार हैं।

3. अभियोजन ने नियमित जमानत आवेदन का विरोध किया है।

4. उपर्युक्त नियमित जमानत पर उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि सूचक के द्वारा प्राथमिकी में यह अभियोग गया है कि दिनांक 02.02.2026 सूचक को गुप्त सूचना मिली कि समय 3 बजे द्वारा NH 31 सड़क से N.T.P.C. सर्विस रोड पर खड़े ट्रक में से अज्ञात चोर लोहा चोरी करने के फिराक में है। इस सूचना पर छापामारी के क्रम में पुलिस उक्त स्थल पर पहुंची तो देखी कि सर्विस सड़क पर खड़ी ट्रक टेलर के नीचे का काठ के पेटी जिसके अगल–बगल खड़े 6–7 युवक पुलिस को देखकर भागने लगे जिसमें 4 युवक रवि कुमार, राहुल कुमार, कुंदन यादव उर्फ बौधा एवं सूरज कुमार को पकड़ लिया गया एवं 3 युवक भागने में सफल हो गए। पकड़ाये युवक रवि कुमार के द्वारा पूछने पर भागे युवकों का नाम क्रमशः जयप्रकाश, सोमनाथ एवं अंकित कुमार बताया गया तथा पूछताछ के क्रम में पकड़ाये युवकों के द्वारा बताया गया कि हमलोग चोरी किए लोहा को गुलाबबाग के कबाड़ी दुकानदार अवधेश कुमार (आवेदक) के कवाड़ी पर बेचते हैं और आज भी ट्रक टेलर से लोहा चोरी किए हैं जिसे बेचने हेतु ले जाने कि फिराक में थे, परंतु पुलिस के द्वारा 4 मित्र को पकड़ लिया गया एवं 3 मित्र भागने में सफल हो गए।

5. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एवं अभिलेख का अवलोकन किया। कांड दैनिकी अभिलेख के साथ संलग्न है। कांड दैनिकी के कंडिका 5 में वादी का पुनः बयान है, कंडिका 6, 7 एवं 8 के साक्षियों के द्वारा घटना

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, बाढ.

नियमित जमानत आवेदन सं0 158/2026

एवं

नियमित जमानत आवेदन सं0 173/2026

दोनों N.T.P.C. थाना कांड सं0 13/2026

लगातार

17.04.2026 के बारे में बताया गया है, कंडिका 9 में आवेदक रवि कुमार का स्वीकारोक्ति बयान है, कंडिका 21 में घटनास्थल है। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत मामला में चोरी की घटना पूर्ण नहीं हुई है एवं चोरी का कोई माल भी बरामद नहीं किया गया है। आपराधिक इतिहास के संदर्भ में किसी भी मामले में आवेदकगण के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित नहीं किया गया है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि आरोपित धाराएं आकर्षित नहीं होती प्रतीत होती है तथा इस कांड के सह अभियुक्त अवधेश कुमार को नियमित जमानत आवेदन सं0 148/2026 दिनांक 08.04.2026 के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है। आवेदक जयप्रकाश कुमार दिनांक 26.02.2026 से तथा आवेदक रवि कुमार दिनांक 04.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

6. इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एवं आवेदकगण के द्वारा कारा में बिताई गई अवधि पर विचार करने के उपरांत आवेदकगण को सशर्त जमानत पर उपनिहित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदकगण की ओर से मो0 10,000 रुपये के दो प्रतिभू द्वारा बंधपत्र दाखिल करने निम्न शर्तों के आलोक में जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है, 1. आवेदकगण को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा यदि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है तो प्रत्येक एवं सभी तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे तथा अनुसंधान/विचारण में सहयोग करेंगे। उपर्युक्त शर्त के अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय आवेदकगण के बंधपत्र को निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होंगे। इस आदेश में की गई टिप्पणी जमानत आवेदन निष्पादन होने तक सीमित है, इस कांड में अन्वेषण, जांच या विचारण के स्तर पर गुण–दोष को प्रभावित नहीं करेगा।

लेखापित एवं शुद्धित
Sd/-
(अमित कुमार दीक्षित)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, बाढ़